

प्रेस नोट

संख्या:34/2022

दिनांक: 22.07.2022

245 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (अनुमानित कीमत ₹ 25 लाख) के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार —

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक **22.07.2022** को प्रभारी निरीक्षक कछवां , स्वाट/सर्विलांस व एसओजी की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि महाराजा ढाबा कटका के सामने हाइवे पर अवैध अंग्रेजी शराब से लदी एक डीसीएम (टाटा) खड़ी है। उक्त सूचना के आधार पर थाना कछवां पुलिस द्वारा महाराजा ढाबा कटका के पास से डीसीएम (टाटा) वाहन संख्या **UP 24 H 9007** व उसमें सवार **02** व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। वाहन उपरोक्त की तलाशी के दौरान वाहन में लदी **245** पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (रॉयल स्टेज व नाइट ब्लू ब्राण्ड) बरामद हुई। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उक्त डीसीएम वाहन में अवैध/अपमिश्रित शराब लादकर बिहार प्रान्त बेचने ले जाते हैं। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कछवां पर मु **0अ0स0-107/2022** धारा **60/63** आबकारी अधिनियम व **272,273,419,420,467,468,471** भादवि पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

- 1-अजीत शर्मा पुत्र जयपाल निवासी ग्राम कवाली थाना खरखोदा जिला सोनीपत हरियाणा, उम्र करीब-**41** वर्ष।
- 2- मोहित शेरगिल पुत्र राजेश कुमार निवासी खरखोदा वार्ड नं **0- 10** थाना खरखोदा जिला सोनीपत हरियाणा , उम्र करीब- **21** वर्ष।

बरामदगी विवरण—

- 1- कुल **245** पेटी अंग्रेजी शराब (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब **₹ 25** लाख) ।
- 2- डीसीएम (टाटा) वाहन संख्या: **UP 24 H 9007**.

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

- 1.निरीक्षक रामस्वरूप वर्मा प्रभारी निरीक्षक कछवां, मीरजापुर मय पुलिस टीम।
- 2.निरीक्षक सत्येन्द्र कुमार यादव प्रभारी एसओजी टीम, जनपद मीरजापुर मय टीम।
- 3.उनि0 राजेश जी चौबे प्रभारी स्वाट/सर्विलांस, जनपद मीरजापुर मय टीम।

नोट— पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा पुलिस टीम को ₹ 15 हजार के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

